

-:आदेश:-

यतः सचिव, व्यवस्थापक समिति, अलवर पीब्लिक स्कूल अलवर द्वारा दिनांक 19-4-82 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अलवर पीब्लिक स्कूल के लिए वर्तमान भवन अत्यन्त पुरानी बनावट एवं बच्चों के लिए अस्वस्थ वातावरण के होते हैं इसीलिए संस्था द्वारा शांला भवन निर्माणार्थ ग्राम वैश्यापुर तहसील व जिला अलवर के आराणी खण्ड 210 रकबा 2बीघा 6बिस्वा, सं0 208/1 रकबा 1बीघा 13बिस्वा, सं0 209/1/62/11 रकबा 2बीघा 7बिस्वा, सं0 208/2/1, 208/3 रकबा 1बीघा 11बिस्वा, संस्था 212, 213/5 रकबा 7बीघा 4बिस्वा एवं संख्या 206, 213/6 रकबा 2बीघा 12बिस्वा कुल 17बीघा 13बिस्वा कृषि भूमि प्रय की गई है। इस समस्त भूमि में माध्यमिक शाला, लाइब्रेरी, लेबोरेट्री, स्टाफ के निवासार्थ कालोनी, सांस्कृतिक एवं सांघीयक शिक्षा हेतु विविध आरंभ, स्कीमिंग पूल, इन्डोर एवं ओपन खेल के मैदान आदि के का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। शाला केन्द्रीय बोर्ड आफ सेकेंड्री स्कूलांन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

प्रकरण में तहसीलदार अलवर, सचिव नगर विकास न्यास, आयुक्त नगर परिषद अलवर ने सहमति दी है। राज्य सरकार से पत्रांक सं0 177/राज-3/82 दिनांक 10-8-82 द्वारा प्रकरण में राज 0 भू राजस्व, राजकीय अनाधिकारित कृषि भूमियों का शाला, औद्योगिक, कॉलेज आदि जनोपयोगी संस्थाओं के लिए आवंटन नियम 1963 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार 10 एकड़ के बजाय 11 एकड़ शाला को आवंटित किया जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सेट्टरी मैनेजिंग कमेटी अलवर पीब्लिक स्कूल अलवर द्वारा उक्त भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की जा चुकी है। जिसका मानान्तरकरण सं0 173 राज्य सरकार के पक्ष में स्वीकार हो चुका है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व, राजकीय अनाधिकारित कृषि भूमियों का शाला, औद्योगिक, कॉलेज आदि जनोपयोगी संस्थाओं के लिए आवंटन नियम, 1963 के अन्तर्गत राज्य सरकार राजस्व, राज-3 विभाग गयपुर के आदेश सं0 सं0 177/राज-3/82 दिनांक 10-8-82 द्वारा 10 एकड़ के बजाय 11 एकड़ तक भूमि आवंटित किए जाने की स्वीकृति के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर ग्राम वैश्यापुर तहसील व जिला अलवर के आराणी खण्ड 210 रकबा 2बीघा 6बिस्वा, सं0 208/1 रकबा 1बीघा 13बिस्वा, संख्या 209/1/62/11 रकबा 2बीघा 7बिस्वा, सं0 208/2/1, 208/3 रकबा 1बीघा 11बिस्वा, सं0 212, 213/5 रकबा 7बीघा 4बिस्वा, एवं संख्या 206, 213/6 रकबा 2बीघा 12बिस्वा कुल 17बीघा 13बिस्वा कृषि भूमि का आवंटन अलवर पीब्लिक स्कूल अलवर के लिए किया जाता है:-

1- उक्त 17बीघा 13बिस्वा भूमि सचिव, व्यवस्थापक समिति अलवर पीब्लिक स्कूल, अलवर को 30 वर्ष की कालावधि के लिए निःशुल्क आवंटन किया जाता है।

30 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात सरकार विज्ञापित का पुर्निकलाप कर सकती और जित प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई थी उसका यदि वही उपयोग किया जा रहा हो तथा उस प्रयोजन के लिए वह आवश्यक हो तो अगले 30 वर्ष की अवधि के लिए उस अवधि का नवीनीकरण किया जा सकता है।

Principal Alwar Public School ALWAR (Raj.)

राज्य सरकार के आदेश सं0 177/राज-3/82

- 3- स्कूल हेतु निर्माणार्थ आवंटित भूमि स्कूल से संबंध प्रयोजन हेतु लीज पर आवंटित की जाती है। लीज डीड प्राप्त। में निम्नप्रकारित किया जावेगा।
- 4- भूमि सरकार में निहित होगी।
- 5- आवंटित की उमर वीणित शर्तों में से प्रत्येक का पालन करने के लिए लिखित में बंधन बद्ध होगा।
- 6- उपरोक्त शर्तों का कोई उल्लंघन किए जानेकी दशा में भूमि, उस पर निर्मित भवन आदि संपत्त राज्य सरकार को प्रत्याहर्तित हो जायेगी और इसके विषय में सुआमने का कोई हक नहीं होगा।

10/2/10
 जिलाधीशा, अलवर
 दिनांक:- 22-10-8

क्रमांक: 12-3/19/साप/82/ 5466-72

प्रतिनिधि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजिए जाती है:-



- 1- उपजिलाधीशा, अलवर - शाला से पट्टा विलेख निम्नप्रकारित कर भिजावस।
- 2- तहसीलदार, अलवर - राजस्व अभिलेख में अमल परामद दिया जाये एवं भूमि का कब्जा उपर शाला को दिया जाये।
- 3- सचिव, व्यवस्थापक समिति अलवर पब्लिक स्कूल अलवर - पट्टा विलेख का निम्नप्रकारित किया जाये तथा शर्त सं 5 के अनुसार अप्परटेकिंग दिया जाये।
- 4- सचिव, नगर विकास न्याय, अलवर
- 5- आयुक्त, नगर परिषद अलवर
- 6- प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियाचन वक्ष जिलाधीशालय, अलवर
- 7- आदेश पत्रावली

प्रमाणित प्रतिलिपि

कार्यालय अधीक्षक
 जिला कलेक्ट्रेट अलवर

जिलाधीशा, अलवर
 20/10

// पूरणा //



Handwritten signature in blue ink.

Principal
 Awar Public School
 ALWAR (Raj.)